न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 09 / 2020 GCMS No2020 / 00023
दायरा तिथि : 13.02.2020
फैसला तिथि : 08.07.2021

प्रार्थी:–

हरीश पुत्र पुरारामजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 08.07.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर उसके द्वारा ग्राम बाली व ग्राम बोया तहसील बाली में संयुक्त सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमियो में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी** को दुरस्ती के माध्यम से **हरीश पुत्र पुरारामजी जाति सीरवी शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। विवरण भूमि इस प्रकार है:–

(मौजा बाली)

खाता संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	प्रार्थी का नाम मय दर्ज हिस्सा
1146	0.8500	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/6 हिस्सा
1192	2.8800	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/6 हिस्सा
1198	2.0770	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/6 हिस्सा
760	0.1400	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/35 हिस्सा
761	3.4400	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/36 हिस्सा
1141	0.0800	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/35 हिस्सा
703	0.2500	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/35 हिस्सा

(मौजा बोया)

खाता संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	प्रार्थी का नाम मय दर्ज हिस्सा
289	2.7000	हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी 1/12 हिस्सा

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतिया,, फोटो कांपी आधार कार्ड, फोटो कांपी राशन कार्ड, फोटो कांपी भामशाह कार्ड, फोटो कांपी पैन कार्ड, फोटो कांपी बैंक पासबुक की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमियों में हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हरीश पुत्र पुराराम होना स्वीकार किया, तथा हकाराम व हरीश नाम का एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हकाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर हरीश पुत्र पुराराम शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली का जवाव प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री संतोष कुमार दवे ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हरीश पुत्र पुरारामजी है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक प्रस्तुत कर दिये है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमियों में नाम हकाराम पुत्र पुराराम दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जवाव व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियो में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम **हकाराम पुत्र पुराराम सीरवी को विलोपित** करते हुये **सही व शुद्ध नाम हरीश पुत्र पुरारामजी जाति सीरवी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बाली व पटवारी हल्का, बोया को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner